पत्र संख्या– 91 /xxvii(7)/2011

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग– 7 देहरादूनः दिनांकः 15 जून, 2011

विषयः उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत न्यूनतम दर की युक्तियुक्तता का आकलन किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के सुसंगत प्राविधानों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह स्पष्ट किये जाने का निदेश हुआ है कि यद्यपि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर 24(XIV) के अनुसार संविदा सामान्यतः न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदादाता को प्रदत्त (एवार्ड) की जानी चाहिए तथापि ऐसा करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी का यह भी दायित्व है कि मूल्य के युक्तियुक्तता (Reasonableness) का आकलन अवश्य कर लें। सामग्री के मूल्य की युक्तियुक्तता (Reasonableness) प्रचलित बाजार दर, पूर्व क्रय मूल्य, कच्चा माल/मजदूरी के आर्थिक सूचकांक (economic indices), अन्य इनपुट कॉस्ट तथा यथार्थ मूल्य (intrinsic value) आदि को ध्यान में रख कर आकलित की जानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर 3.(7) के क्रम में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि न्यूनतम दर पर संविदा अवार्ड करने से पूर्व यह अवश्य समाधान कर लिया जाये कि दरें युक्तियुक्त (Reasonable) तथा गुणवत्ता के अनुरूप हों।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 91 /xxvii (7)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, नियोजन, राज्य योजना आयोग प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।